भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 866
दिनांक 09.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश जाने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

866 **श्री कार्तिकेय शर्माः**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान छात्रों द्वारा पढ़ाई के लिए वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रवृति योजना प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
संख्या	5,18,015	5,86,337	2,59,655	4,44,553	7,50,365

(ग) भारत सरकार ने छात्रों सहित सभी श्रेणियों के भारतीय यात्रियों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के मुद्दे को संबंधित सरकारों के साथ उठाया है। हालांकि, वीज़ा प्रदान करना किसी भी सरकार का संप्रभु निर्णय और विशेषाधिकार है, जो उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर उनके मिशनों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें छात्र वीज़ा जारी करने के लिए विशिष्ट मानदंड होते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्त बंजारा और अर्ध-बंजारा जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणी आदि से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेशों में अध्ययन करके उच्च शिक्षा अर्थात मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रिया विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल (**http://nosmsje.gov.in/**) पर उपलब्ध है।

*****